HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5788/2025

1. Dhruv Saxena S/o Shri Gunjan Saexna, Aged About 35 Years, R/o House No 194, Anjani Marg, Hanuman Nagar Vistar, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.).
2. Gunjan Saxena S/o Shri Suresh Kumar Saxena, Aged About 61 Years, R/o House No 194, Anjani Marg, Hanuman Nagar Vistar, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.).

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg
For Respondent(s)	:	Mr. R.S.Shekhawat, PP Mr. Rajneesh Gupta

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2025

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना **वैशाली नगर जिला जयपुर पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **262/2023 अपराध अंतर्गत धारा 327, 329, 342, 347, 348, 365, 368, 464, 406, 474 भारतीय दण्ड संहिता** में अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण ने **अंतरिम अनुतोष** की प्रार्थना की, जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि परिवादिनी रीना गुंजन प्रार्थी संख्या–1 ध्रुव सक्सेना की माता है तथा प्रार्थी संख्या–2 से परिवादिनी का विवाह विच्छेद हो चुका है। प्रकरण में जिस भूमि/प्लॉट के सम्बन्ध में विवाद है, उस प्लॉट के सम्बन्ध

में परिवादिनी एवं प्रार्थी संख्या–2 गुंजन सक्सेना ने संयुक्त रूप से ऋण लिया था और स्वयं परिवादिनी ने स्वीकारा है कि ऋण को प्रार्थी संख्या–2 द्वारा चुकता किया गया है। इस प्लॉट पर आधिपत्य के सम्बन्ध में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी है तथा सिविल वाद लम्बित है। उनका तर्क है कि अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने धारा 327, 329, 347, 348, 368, 468, 406, 474 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं पाया है, केवल धारा 342, 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का ही अपराध प्रमाणित पाया है। उनका तर्क है कि धारा 41 दण्ड प्रक्रिया संहिता के नोटिस की प्रतिक्रिया में प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। उनकी हिरासत जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। गुणावगुण पर विस्तृत बहस होने तक अंतरिम आदेश पारित किया जाए। उनका तर्क है कि वे अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर हैं।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादिनी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादिनी आईआईटी इंजीनियर होकर एमएनआईटी पुणे महाराष्ट्र में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। प्रार्थीगण ने उसे सीजोफ्रेनिया का मरीज बताकर जबरन भगवान महावीर मनोचिकित्सा एवं नशा मुक्ति केन्द्र खण्डाका अस्पताल कालवाड़ रोड हाथोज जयपुर में भर्ती करवा दिया। उनका तर्क है कि ऐसा आपस में साज करके करवाया गया है। अस्पताल में उनको किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं दिया गया है, इससे भी प्रकट होता है कि उसे जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था ताकि वह जमीन के सम्बन्ध में जो विवाद है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सके। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण ने एक याचिका धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करवाने के लिए पेश की थी जो दिनांक 22.04.2025 को प्रत्याहरित कर ली है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण की अनुसंधान में आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाए। अनुसंधान पत्रावली तलब कर बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया जाए।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रतिउत्तर में प्रकट किया कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका न्यायालय से नवीन तथ्यों के आधार पर पुनः पेश करने की स्वतत्रता के साथ प्रत्याहरित की थी।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रकरण में अग्रिम जमानत के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जानी है। आज अनुसंधान पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अंतरिम आदेश पर सुना गया है।

अब तक की पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए धारा 327, 329, 347, 348, 368, 468, 406, 474 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप बनना नहीं पाए गए हैं, केवल धारा 342, 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप ही बनना पाए गए हैं। मामले की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि विद्वान लोक अभियोजक आगामी तिथि पर आवश्यक रूप से प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तथा प्रार्थीगण का पूर्व आपराधिक इतिहास पेश करें, तब तक पुलिस थाना **वैशाली नगर जिला जयपुर पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **262/2023** में प्रार्थी–अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया जाए।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL/56